FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

धर्माराम वगैरा बनाम कानाराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 88,188 Rt Act नं. 13/2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/01/22	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम मारवड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 Rt Act राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 9/2/22 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	
09/02/2022	वादी वकील उपस्थित/प्रतिवादी गणों के सम्मन तामील होकर तामील रिपोर्ट/ प्रतिवादी संख्या-2 की ओर से वकील श्री गणेश जोशी द्वारा फिडर हेरिंग ली गई वादी वकील द्वारा प्रतिवादी संख्या-4 से 32 को तर्क किया गया जिनसे कोई किसी प्रकार की दस्तक्षेप नहीं चाही गई है प्रतिवादी संख्या-1 व 3 की तलबी व प्रतिवादी संख्या-2 के वकालतनामा व जवाब हेतु पत्रावली दिनांक-03/03/2022 को पेश हो।	आलमसिंह प्रति. सं. 2 अपरेपरिंग G Shadu प्रतिवादी नं 4 से 32 को तर्क करता हूँ।

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

03/03/2022 वादी व प्रतिवादी संख्या-2 के वकील उपस्थित/ प्रतिवादी संख्या-1 व 3 का मामला नामील होकर नामील गैरहाजिर/ प्रतिवादी संख्या-2 के अधिवक्ता द्वारा वकालातनामा व जवाबदावा पेश नहीं किया गया वकालातनामा व जवाबदावा पेश करना चाहते है। मामला प्रतिवादी क्रॉस-फाइल पेश करना चाहते है। मामला प्रतिवादी की ओर से दिया कारण से व्याप्य होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक-23/03/2022 को पेश हो।

23/03/2022 वादी व प्रतिवादी संख्या-2 के वकील उपस्थित/ प्रतिवादी संख्या-1 व 3 की ओर से वकील श्री गणेश कुमार जोशी द्वारा वकालातनामा मय प्रति दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या-2 व 3 को पक्षकारों के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या-1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे। जिस हेतु प्रतिवादी संख्या-1 के द्वारा सहमति जाहिर की गई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः वादी साक्ष्य हेतु पत्रावली दिनांक-16/05/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाड़मेर

16/05/2022 वादी व प्रतिवादी संख्या-1 व 3 के वकील उपस्थित/ वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं PW-1 धर्माराम पुत्र भानाराम जाति-जाट निवासी-खेजड़ीयाली तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर व PW-2 स्वतंत्र गवाह हीराराम पुत्र श्री सताराम जाति-जाट निवासी-रेवाली तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर के शपथ-पत्र पेश किये गये जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी वकील साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक-03/08/2022 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला - बाड़मेर

हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4/07/2022	वादी वकील द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब कर निर्णय करने बाबत का प्रस्तुत किया गया जिसकी प्रति प्रतिवादी संख्या-1 से 3 के अधिवक्ता को दी गई प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा No objection किया गया। वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर पत्रावली आज पेशी तारीख पर तलब की गई वादी व प्रतिवादी संख्या-1 से 3 के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादीगण का वाद प्रतिवादी संख्या-2 व 3 का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बर से कर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु जिला – बाड़मेर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी जगदीश सिंह आशिया R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 13 / 2022

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

1. धर्माराम पुत्र कानाराम,
2. मोहनलाल पुत्र कानाराम,
3. बाबुराम पुत्र कानाराम,

जाति–जाट, निवासी– खेजड़ीयाली, झाक, तहसील–बायतु, जिला–बाडमेर

बनाम

1. कानाराम पुत्र रामचन्द्र,
2. जालमसिंह पुत्र कानाराम,
3. लूम्भाराम पुत्र कानाराम,
4. अणदाराम पुत्र डुंगराराम,
5. अणसी पत्नी कुभा,
6. केरी पत्नी उम्मेदाराम,
7. किरपाराम पुत्र अलसाराम,
8. खेताराम पुत्र डुंगराराम,
9. गवरी पत्नी अखाराम,
10. जोगाराम पुत्र उम्मेदाराम,
11. टीकूराम पुत्र तेजाराम,
12. दुर्गाराम पुत्र कुंभाराम,
13. देवाराम पुत्र उम्मेदाराम,
14. धनाराम पुत्र भगवानाराम,
15. पूनमाराम पुत्र डुंगराराम,
16. पेमाराम पुत्र हीराराम,
17. पुरखाराम पुत्र अखाराम,
18. पुरखाराम पुत्र खेराजराम,
19. प्रहलादराम पुत्र तेजाराम,
20. बन्नाराम पुत्र हीराराम,
21. भैराराम पुत्र तेजाराम,
22. लाधू पत्नी डुंगराराम,
23. मगाराम पुत्र खेराजराम,
24. मूलाराम पुत्र अखाराम,
25. मीरो पत्नी हीराराम,
26. रामाराम पुत्र हीराराम,
27. लालाराम पुत्र हीराराम,
28. सोहबी पत्नी खेराजराम,
29. हड़ुमानराम पुत्र कुंभाराम,
30. हड़ुमान पुत्र अखाराम,
31. नाबालिग ओमाराम पुत्र उम्मेदाराम सरंक्षक माता केसा देवी

जाति–जाट, निवासी– खेजडियाली, झाक, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री गणेश कुमार गोदारा वकील प्रतिवादी संख्या 01

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

निर्णय दिनांक : 12/07/2022

वादीगण का वाद संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 की पैतृक भूमि मौजा खेजडीयाली, पटवार मण्डल झाक तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 267 रकबा 17.7090 हैक्टेयर व मौजा खाली, पटवार हल्का हरखाली तहसील बायतु खेत खसरा न. 171, 177, 205, 176 रकबा क्रमश 3.2117, 2.3785, 5.1372, 6.2536 हैक्टयर व मौजा रतनाली नाडी पटवार हल्का भीमडा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 178, 185 रकबा 12.2078, 4.0855 हैक्टयर व मौजा भीमडा पटवार हल्का भीमडा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 187 रकबा 0.7443 हैक्टयर व मौजा डेडयाली पटवार हल्का हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 178, 179, 180, 181, 182, 191 रकबा क्रमशः 0.0324, 0.0324, 1.8688, 0.0566, 8.0738, 1.4077 हैक्टयर की भूमि आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3, पूर्वज रामचन्द्र के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है और वादी अपने पैतृक भूमि में सहखातेदारी घोषित करवाने के अधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बटंवारा किया हुआ है तथा वादी अपने हिस्से की भूमि पर बहामी बंटवाड़ा अनुसार काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इकबाली जवाब व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रतिदावा लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं देवाराम पुत्र भूराराम का शपथ पत्र PW 1, स्वतंत्र गवाह के रूप में अमराराम पुत्र धनाराम का शपथ पत्र PW 2 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ पत्र DW 1 पेश किया गया।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 तथा उनके अधिवक्ता को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या–1 के पिता के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादी के दादा व प्रतिवादी संख्या–1 के पिता के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादी व प्रतिवादी संख्या–1 उनके पूर्वज बूलाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी व प्रतिवादी संख्या–1 का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या–1 के हिस्से के साथ वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, डिकी किया जाता है व अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा खेजड़ीयाली, पटवार मण्डल झाक

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

बायतु के खेत खसरा नम्बर 267 रकबा 17.7090 हैक्टेयर व मौजा रेवाली, पटवार हल्का ...ली तहसील बायतु खेत खसरा नं. 171, 177, 205, 176 रकबा क्रमशः 3.2117, 2.3785, 5. ...2, 6.2536 हैक्टयर व मौजा रतनाली नाडी पटवार हल्का भीमड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा ...र 178, 185 रकबा 12.2078, 4.0855 हैक्टयर व मौजा भीमडा पटवार हल्का भीमडा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 187 रकबा 0.7443 हैक्टयर व मौजा डेडवाली पटवार हल्का हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 178, 179, 180, 181, 182, ,191 रकबा क्रमशः 0.0324, 0.0324, 1.8688, 0.0566, 8.0738, 1.4077 हैक्टयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण व प्रतिवादी 2 व 3 को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(जगदीश सिंह आसिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु

निर्णय आज दिनांक 12/07/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश सिंह आसिया)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश सिंह आशिया R.A.S.

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण:
1. धर्माराम पुत्र कानाराम,
2. मोहनलाल पुत्र कानाराम,
3. बाबुराम पुत्र कानाराम,

जाति– जाट, निवासी– खेजडीयाली, झाक, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण:
1. कानाराम पुत्र रामचन्द्र वगैरह 33 जाति जाट, निवासी खेजड़ियाली, झाक, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या– 13 / 2022. **निर्णय दिनांक :–** 12/07/2022

वादीगण वकील श्री खेताराम जाखड़ व प्रतिवादी वकील गणेश कुमार गोदारा व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12/07/2022 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) जगदीश सिंह आशिया, सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी ज़ाती है कि :–

वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा खेजडीयाली, पटवार मण्डल झाक तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 267 रकबा 17.7090 हैक्टेयर व मौजा रेवाली, पटवार हल्का हरखाली तहसील बायतु खेत खसरा नं. 171, 177, 205, 176 रकबा क्रमशः 3.2117, 2.3785, 5.1372, 6.2536 हैक्टयर व मौजा रतनाली नाडी पटवार हल्का भीमड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 178, 185 रकबा 12.2078, 4.0855 हैक्टयर व मौजा भीमड़ा पटवार हल्का भीमड़ा तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 187 रकबा 0.7443 हैक्टयर व मौजा डेडवाली पटवार हल्का हरखाली तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 178, 179, 180, 181, 182, 191 रकबा क्रमशः 0.0324, 0.0324, 1.8688, 0.0566, 8.0738, 1.4077 हैक्टयरमें प्रतिवादी संख्या 1 के साथ, वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा वाद पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

आज तारीख 12/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(जगदीश सिंह आशिया)
सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु
जिला – बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड		जोड	